आदेश की क्रम सं0 और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
30.12.2020	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्विट्रेटर, धनबाद।** **आर्विट्रेशन केश नं0–46/2020** **सपन कुमार दे एवं तपन कुमार दे–बनाम्–भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण एवं अन्य** दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचाँची अंचल अंतर्गत मौजा–**तोपचाँची**, थाना सं0–**49**, खाता सं0–**118**, प्लॉट सं0–**2338** एवं **2341**, रकवा–**08 डी0** भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत् उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया। आवेदक स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि उक्त भूमि खाता सं0–**118**, प्लॉट सं0–**2341** एवं **2338** में निर्मित मकान का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं निर्मित मकान को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज कर दिया गया है। जिसे निष्पादन करने का अनुरोध किया गया है। NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1519/भू0अ0**, दिनांक–**29.12.2020** के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तोपचाँची अंचल अंतर्गत मौजा–**तोपचाँची**, थाना सं0–**49**, खाता सं0–**118**, प्लॉट सं0–**2338** एवं **2341**, रकवा–**08 डी0** भूमि अधिग्रहण किया गया है। जिसमें संरचना अवस्थित है, जो आवासीय भूमि के **84,94,540.00 रू0** प्रति एकड़ के दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि संरचना में विवाद होने के कारण संरचना की राशि को एल0ए0 कोर्ट, हजारीबाग अग्रसारित कर दिया गया है। अंचल अधिकारी, तोपचाँची से प्रतिवेदन की माँग की गई है, जो अबतक अप्राप्त है।	

Scanned with CamScanner

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1519/भू0अ0,** दिनांक–**29.12.2020** द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि यह मामला आर्बिट्रेशन वाद में निपटारा नहीं किया जा सकता है।

अतः पक्षो को सुनने एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत मैं पाता हूँ कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1519/भू0अ0,** दिनांक–**29.12.2020** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संरचना में विवाद होने के कारण संरचना की राशि को एल0ए0 कोर्ट, हजारीबाग अग्रसारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह वाद को अस्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि आवेदक/NHAI एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को दें।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

लेखपित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

Scanned with CamScanner